

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3121] No. 3121] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2016/पौष 9, 1938 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2016/PAUSA 9, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4250(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6ग की उप-धारा (4) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में 2 फरवरी, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 324(अ) तारीख 2 फरवरी, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातु:—

उक्त अधिसूचना में, आरंभिक पैरा में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थातु: —

"परंतु यह और कि स्कीम निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 से निक्षेप-सहबद्ध निधि द्वारा उपबंधित या उसके अधीन किन्ही फायदों की लागत के लिए व्यय से भिन्न राशि, कर्मचारियों के संबंध में उक्त स्कीम के प्रशासन के संबंध में व्यय पूरा करने के लिए नियोजक द्वारा संदाय नहीं होगी, जिसकी सदस्यता कर्मचारी नामांकन अभियान, 2017 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 82क के अधीन घोषणा की गई हैं।"

[फा. सं. एस- 35012/13/2016-एस. एस.-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

6042 GI/2016 (1)

टिप्पणी: मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 324(अ) तारीख 2 फरवरी. 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2016

S.O. 4250(E).—In pursuance of the powers conferred by clause (a) of sub-section (4) of section 6C of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions, Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 324(E), dated the 2nd February, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 2nd February, 2015, namely:—

In the said notification, in the opening paragraph, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that no sum, other than the expenses towards the cost of any benefits provided by or under the Employees' Deposit-linked Insurance Scheme, 1976, shall be payable by the employer for meeting the expenses in connection with the administration of the said Scheme, in relation to the employees whose membership have been declared under paragraph 82A of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 as per the Employees' Enrolment Campaign, 2017, to the Deposit-linked Insurance Fund."

[F. No. S-35012/13/2016-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 324(E), dated the 2nd February, 2015.